619
16.6.21

UPLC-H.Q.
Reg. No.: 572
Date: 18-6-21

संख्याः-878/78-1-2021-15आई0टी0/2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2021

विषयः आईआईटी कानपुर तथा फिक्की द्वारा उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत नोएडा में उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-यूपीएलसीःस्टार्टअप पॉलिसीः2020-2021/326, दिनांक 18 फरवरी 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत राज्य में 3 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किया जाना परिलक्षित है। आईआईटी कानपुर तथा फिक्की द्वारा उक्त नीति के अन्तर्गत नोएडा में Artificial Intelligence & Innovation Driven Entrepreneurship (AIIDE) Centre of Excellence की स्थापना राज्य सरकार के सहयोग से प्रस्तावित है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तथा उद्यमिता के पोषण हेतु आईआईटी कानपुर तथा फिक्की द्वारा नोएडा में स्थापनाधीन Artificial Intelligence & Innovation Driven Entrepreneurship (AIIDE) Centre of Excellence को, उसकी स्थापना तिथि से 5 वर्ष की अवधि में, अनुदान के रूप में अधिकतम धनराशि रु0 10 करोड़ (रूपये दस करोड मात्र) तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है) निम्नानुसार प्रदान की जायेगी तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को वित्तीय सहायता पर निहित व्यय-भार का वहन 'उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020' के अन्तर्गत अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त धनराशि रु0 30 करोड़ (रूपये तीस करोड मात्र) प्रतिवर्ष (05 वर्षों में कुल धनराशि रु0 150 करोड़) से बनाये गये कॉरपस फण्ड से किया जायेगाः-

SWKY / Deepak
SIIC, IIT Kanpur के [illegible]

<u>धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित समय-सारणी, तत्सम्बन्धी शर्तें एवं इस हेतु आवश्यक अभिलेख</u>

कार्यकलाप/व्यय मद	FIRST, आईआईटी कानपुर द्वारा 5 वर्षों के लिए मॉगी गई धनराशि (रु लाख)	FIRST आईआईटी कानपुर को भुगतान हेतु प्रस्तावित समय-सारणी	धनराशि अवमुक्त किए जाने से सम्बन्धित शर्तें तथा इस हेतु आवश्यक अभिलेख
25 स्टार्टअप्स के दो समूहों को (06 माह का) प्रशिक्षण एवं सहायता	236.25	अर्द्धवार्षिक आधार पर	1 स्टार्टअप के उ0प्र0 में निगमित/पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र। 2 डी.पी.आई.आई.टी. में पंजीयन का प्रमाण-पत्र। 3 स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीयन का प्रमाण-पत्र। 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम का एजेण्डा। 5 परिणाम सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट (प्रत्येक स्टार्टअप की प्रोफाइल तथा कार्यक्रम से अर्जित उपलब्धियां)। 6 प्रशिक्षण एवं सहायता हेतु प्रथम संवितरण अग्रिम किया जाएगा। तत्पश्चात अनुवर्ती सवितरण सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख यथा कार्यक्रम के दौरान हुए व्यय का चार्टेड एकाउन्टेन्ट, कम्पनी सचिव द्वारा सत्यापित विवरण सम्पन्न हुए आयोजन में संचालित प्रशिक्षण पर प्रत्येक स्टार्टअप द्वारा सम्यक रूप से भरा गया फीड-बैक फॉर्म प्राप्त करते हुए अवमुक्त किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के	175.00	आवश्यकता	1 आयोजन का प्रस्ताव अग्रिम रूप से

स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम का निर्माण एवं सुदृढीकरण		के आधार पर	प्रस्तुत किया जाये तथा पीएमआईसी के अनुमोदन उपरान्त ही प्रतिपूर्ति की जायेगी। 2 आयोजन उपरान्त तद्विषयक आख्या फोटोग्राफ्स, प्रेस कटिंग इत्यादि सहित शासन/नोडल संस्था को प्रस्तुत की जाये।
डेमोडे एण्ड फेलिसिटेशन-विजिबिलिटी एण्ड मोटीवेशन	50.00	आवश्यकता के आधार पर	1 आयोजन का प्रस्ताव अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाये तथा पीएमआईसी के अनुमोदन उपरान्त ही प्रतिपूर्ति की जायेगी। 2 आयोजन उपरान्त तद्विषयक आख्या फोटोग्राफ्स, प्रेस कटिंग इत्यादि सहित शासन/ नोडल संस्था को प्रस्तुत की जाये।
केन्द्र हेतु पूंजीगत व्यय (उपकरण) तथा 5 वर्षो तक अनुरक्षण एवं रख-रखाव	24.00	आवश्यकता के आधार पर	1 सी.ओ.ई. की गवर्निंग बॉडी के अनुमोदन उपरान्त ही व्यय किये जायें। 2 व्ययों के सी.ओ.ई. के नाम से मूल वाउचर्स/रसीदें प्रस्तुत की जायें। 3 इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट्स। 4 वार्षिक अनुरक्षण शुल्क व्ययों की इन्वायस। 5 सी.ओ.ई. की गवर्निंग बॉडी/नोडल संस्था द्वारा नियुक्त मूल्यांकन संस्था द्वारा नई खरीदी गई स्थिर परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।
परिचालन प्रशासनिक एवं जनशक्ति पर व्यय तथा आईआईटी	442.00	त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप से	1 मासिक वेतन-पर्ची सहित वेतन के लिए स्टाफ रजिस्टर की प्रति। 2 अन्य परिचालन व्ययों के आगणन। 3 उत्कृष्टता के केन्द्र का बैंक स्टेटमेन्ट।

कानपुर एवं फिक्की से अतिरिक्त सहयोग			
प्रकीर्ण व्यय	100.00	त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप से	1 अनुमानित प्रकीर्ण व्ययों हेतु अग्रिम भुगतान। 2 व्ययों के उपरान्त मूल विल एवं रसीदें नोडल संस्था को प्रस्तुत की जाये।
योग	1027.25 (रूपये दस करोड़ सताईस लाख, पचीस हजार मात्र)		

अभ्युक्तिः

1- सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के संचालन हेतु एक पृथक खाता खोलकर समस्त आय एवं व्ययों का विवरण रखा जाये।

2- रू0 10.00 करोड़ के अतिरिक्त देय धनराशि रू० 27.25 लाख का व्यय फाउण्डेशन फॉर इन्नोवेशन एण्ड रिसर्च इन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी (FIRST) आईआईटी कानुपर द्वारा अपने संसाधनों से पाँच वर्षों में किया जायेगा।

4- उत्कृष्टता के केन्द्र को वित्तीय सहायता का संवितरण पीएमआईसी के निर्णय पर निर्भर होगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा धनराशि/प्रोत्साहन का निर्गमन भी उनके कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, जिसका अनुश्रवण पीएमआईसी द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग एवं उपभोग यथानिर्धारित समय-सारणी एवं उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा तथा व्यय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे। यह प्रत्याशा की जाती है कि उत्कृष्टता का केन्द्र 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक स्व-निर्भर हो जायेगा तथा इसके पश्चात केन्द्र को शासन से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

5- उत्कृष्टता के केन्द्र में एक अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अतिरिक्त अन्य सभी डेडीकेटेड स्टाफ होंगे। यह सभी स्टाफ इस प्रयोजन हेतु गठित गवर्निंग बोर्ड के अधीनस्थ कार्यरत होंगे जिसमें नीति आयोग, भारत सरकार में आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

6- उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति हेतु नामित नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु आईआईटी कानपुर में स्थापित हार्डवेयर एवं कैलिब्रेशन उपकरण तथा सम्बन्धित लैबोरेटरी इत्यादि से सम्बन्धित सुविधायें स्टार्टअप्स तथा नवउद्यमियों को शेयर्ड मॉडल पर निःशुल्क उपलब्ध हों। नोडल संस्था द्वारा यह भी नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा कि AIIDE Centre of Excellence हेतु परिलक्षित निम्नलिखित डिलीवरेबुल तथा माइलस्टोन्स भी निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्राप्त हो:-

(i.) सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 स्टार्टअप्स के अनुसार 5 वर्षों की अवधि में 250 (स्टार्ट-अप्स) नव-उद्यमी को सहयोग।

(ii.) इन स्टार्टअप्स में से शीर्ष 20 को व्यावसायिक क्षमता और तत्परता के अनुसार निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii.) इन उद्यमियों को सहायता और सहयोग के लिए मेन्टर्स का एक पूल भी विकसित किया जायेगा।

(iv.) 20 उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन या विकास के लिए समर्पित समर्थन मिलेगा जिससे उन्हें अपने उत्पाद को बाजार में लॉन्च करने में सहायता मिलेगी और उत्पाद की बाजार क्षमता के आधार पर निवेशकों तक पहुंच प्राप्त होगी।

7- यह आदेश मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-878(1)/78-1-2021 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाराती लाल)
संयुक्त सचिव।